-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

(सक्षम अपीलीय प्राधिकारी)

प्रकरण कमांक /2016 अपील निगरानी-9060-II-16

रघुवीर प्रसाद यादव पुत्र श्री रामरतन यादव, आयु-- 57 वर्ष, व्यवसाय-- एस0डी0एम0 निवाड़ी, निवासी-- तहसील कॉलोनी, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़, म0प्र0 ..... अपीलार्थी

बनाम

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला टीकमगढ़, म0प्र ... प्रतिअपीलार्थी

अपील अन्तर्गत म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 धारा 25 विरुद्ध आदेश दिनांक 27/05/2016 जो माननीय कमिश्नर महोदय, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 1012/तीन/विभा0 अपील/2016 व उनवान रघुवीर प्रसाद यादव बनाम म0प्र0 शासन (कलेक्टर महोदय टीकमगढ़) में पारित कर श्रीमान् कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के आदेश कमांक 3-ए/बित्त/स्था0/2015 /546 टीकमगढ़ में पारित आदेश दिनांक 22/07/2015 को यथावत् रखते हुये अपीलार्थी की अपील निरस्त की है। आदेश दिनांक 27/05/2016 अपील के साथ संलग्न किया जाकर एनेक्जर ए/1 से चिन्हित किया गया है।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से अपील सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:--

संक्षिप्त तथ्य

1-- यह कि, अपीलार्थी रघुवीर प्रसाद यादव को जीप चालक के पद पर नियमित वेतनमान 870-20-910 101-30 1220-40-1420 पर श्रीमान् कलेक्टर महोदय के आदेश कमांक 5/व. ली/89 दिनांक 18/01/1989 को नियुक्त किया गया था और आदेश कमांक 3/ए /बित्त/89 दिनांक 25/01/89 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ ने निर्धारित जीप चालक के पद के वेतन पर अपीलार्थी की पद स्थापना की गयी।

2-- यह कि, अपीलार्थी की जीप चालक की नियुक्ति के पश्चात श्रीमान् कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के आदेश कमांक 3/ए /बित्त/89 दिनांक 17/02/89 के द्वारा अपीलार्थी को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण टीकमगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया जिसके पालन में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17/02/89 को अपने कर्तव्य पर उपस्थिति दी गयी।

विविध- 9060-II/16 (लोकपाल)

3-11-16

आवेदक की ओर
से श्री महावीर स्वयं अधि. उपस्थित।
आवेदक अधि. द्वारा प्रकरण को
आगे नहीं चलाये जाने का निवेदन
किया गया। आवेदक अधि. के
निवेदन पर प्रकरण not-press
में समाप्त किया जाता है।
प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

अध्यक्ष

3-11-16

मुद्रणालय—320—फॉर्म—21-9-12—5,000 प्रति